

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक : 24/जयपुर/2001-02

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुखी मनोहर पब्लिक स्कूल समिति
मुकुन्दपुरा, नृसिंहपुरा, जिला जयपुर का रजिस्ट्रेशन राजस्थान संस्था
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के
अन्तर्गत दिनांक अठारह अप्रैल, दो हजार एक को
किया गया था।

अब इस संस्थान का नाम परिवर्तित कर श्री मुखी मनोहर शिक्षा
समिति, मुकुन्दपुरा, नृसिंहपुरा, जिला जयपुर

जिला जयपुर कर दिया गया है। यह परिवर्तन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1958 की धारा 12 के प्रावधानान्तर्गत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से दिनांक इक्कीस जून
दो हजार सौलह को जयपुर में जारी किया गया।



रजिस्ट्रार (संस्था)
जयपुर
(आर. के. मोना)
रजिस्ट्रार संस्थाएँ (जयपुर)